

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2536] No. 2536] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3271(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2427 (अ), तारीख 22.09.2009 और का.आ. 863(अ), तारीख 01.04.2013, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया रारा—53) के 166.725 कि.मी. से 649.000 कि.मी. (तालेगांव—अमरावती—गुजरात/महाराष्ट्र सीमा सेक्षन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) टोल आधार पर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—IV के अधीन, रारा—6 के अमरावती—चिखली सेक्शन के 166.000 कि.मी. से 360.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) को चार लेन का बनाने, उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु, 25.06.2015 को प्रस्तुत बोली के लिए 08.09.2015 को मैसर्स अमरावती—चिखली एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएल एण्ड एफएस फाइनेंशियल सेन्टर, प्लॉट संख्या सी—22, जी ब्लॉक, बान्द्रा—कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई—400051, महाराष्ट्र में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संषोधन नियम, 2010, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संषोधन नियम, 2011, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर, सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 186.435 कि.मी. (जिसमें 167.790 कि.मी. की सड़क और 1864.50 मीटर की सरचनाएं शामिल हैं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 18.645 कि.मी. है) सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिस्ते इसमें इसके पश्चात् 'आधार दर'' संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाले प्रत्येक बाइपास के लिए, बाइपासों की कुल 24.345 कि.मी. लम्बाई हेतू (225.00 मीटर की सरचनाओं को छोड़कर, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है और समकक्ष लम्बाई 2.25 कि.मी. है) नीचे

4972 GI/2016 (1)

सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से तथा प्राधिकरण से समापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधरित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी.
	शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या	3.45
बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
अकोला जिले में कुरनखेद गांव के पास 218.750 कि.	61.748 (संरचनाओं की लम्बाई 0.552 कि.मी.	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित
मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 219.000 कि.मी.)	और बोरेगांव बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	आधार दरों का 100%
बुलढाणा जिले में तरोडा कस्बा गांव के पास 280.642	57.4765 (संरचनाओं की लम्बाई 0.8035 कि.मी.	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित
कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 281.000 कि.मी.)	और खामगांव बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	आधार दरों का 100%
बुलढाणा जिले में दसारखेद गांव के पास 356.542 कि.मी.	48.566 (संरचनाओं की लम्बाई 0.509 कि.मी.	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित
(डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 355.850 कि.मी.)	और नंददुरा बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज सहित बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
अकोला जिले में कुरनखेद गांव के पास 218.750 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 219.000 कि.मी.)	मी. पर (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज	4.700	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
बुलढाणा जिले में तरोडा कस्बा गांव के पास 280.642 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 281.000 कि.मी.)	रारा—6 के खामगांव बाइपास के 292.842 कि.मी. पर (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 293.320 कि.मी.) से शुरू होकर 306.712 कि.मी. पर (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 306.000 कि.मी.) पर मिलते हुए	13.720 (0.150 कि.मी. संरचना की लम्बाई को छोड़कर	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
बुलढाणा जिले में दसारखेद गांव के पास 356.542 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 355.850 कि.मी.)	रारा—6 के नंदपुरा बाइपास के 315.742 कि.मी. पर (डिजाइन बैनेज) (विद्यमान बैनेज 314.980 कि.मी.) से शुरू होकर 321.742 कि.मी. (डिजाइन बैनेज) (विद्यमान बैनेज 320.980 कि. मी.) पर मिलते हुए	5.925 (0.075 कि.मी. संरचना की लम्बाई को छोड़कर	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु *संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	
अकोला जिले में कुरनखेद गांव के पास 218.750 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 219.000 कि.मी.)	0.552	5.52
बुलढाणा जिले में तरोडा कस्बा गांव के पास 280.642 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 281.000 कि.मी.)	0.8035	8.035
बुलढाणा जिले में दसारखेद गांव के पास 356.542 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 355.850 कि.मी.)	0.509	5.09

* ब्यौरा निम्न प्रकार है:--

टोल प्लाजा 218.750 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर

	चै	नेज	लम्बाई (मीटर)	
	कि.मी. से	कि.मी. तक	लम्बाई (नाटर)	
1	194.633	194.767	134.100	
2	200.519	200.611	92.000	
3	220.994	221.144	150.800	
4	206.396	206.571	175.000	
	योग		551.900	

टोल प्लाजा 280.642 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर

	चै नेज		लम्बाई (मीटर)	
	कि.मी. से	कि.मी. तक	लन्बाई (बाटर)	
1	246.436	246.526	90.000	
2	247.627	247.707	80.000	
3	254.272	254.392	120.000	
4	273.022	273.116	94.500	
5	274.589	274.716	126.400	
6	283.664	283.732	68.000	
7	302.976	303.051	75.000	
8	243.511	243.586	74.626	
9	302.022	302.097	75.000	
	योग		803.526	

टोल प्लाजा 356.542 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर

	चै नेज		(1) \	
	कि.मी. से	कि.मी. तक	लम्बाई (मीटर)	
1	318.241	318.316	75.000	
2	324.607	324.695	88.000	
3	333.051	333.189	138.000	
4	352.602	352.704	101.600	
5	345.287	345.393	106.400	
	योग		509.000	

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016–17 के लिए मासिक पास की दर 235.00/– रुपए (दो सौ पैतीस रुपए मात्र) होगी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।
- राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्निलखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	की अधिकतम संख्या दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय	50 (पचास) या अधिक	संदाय की समय से एक मास
शुल्क की राशि का दो–तिहाई	,	

- 6. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सडक उपलब्ध न हो ।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज़ेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन की श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 10.. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के अधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि की तारीख से 6 (छह) महीने की अविध के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 760 / सीओ / 16–17 / जीसी अमरावती–चिखली सेक्शन–बीओटी]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2016

S.O. 3271(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O No. 2427(E), dated 22.09.2009 and S.O. 863 (E), dated 01.04.2013, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 166.725 to km 649.000 (Talegaon-Amravati-Gujarat/Maharashtra Border Section) of National Highway No. 6 (New NH-53) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Amravati Chikhli Expressway Limited having its registered office at IL&FS Financial Centre, Plot No.C-22, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051, Maharashtra (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), on 08.09.2015 for the bid submitted on 25.06.2015 for the development of Amravati-Chikhli Section of NH-6 from km 166.000 to km 360.000 (design chainage) (hereinafter referred to as the "said section") to four laning, operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-IV on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2010, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2013, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2014 and

National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 186.435 km [including 167.790 km road and 1864.50 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 18.645 km] for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 24.345 km [excluding 225.00 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 2.25 km] costing each Bypass Rupees Ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
Km. 218.750 (design chainage) (Existing Chainage km 219.000) near Kurankhed village in Akola district	61.748 (excluding structures length of 0.552 km and length of Boregaon Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 280.642 (design chainage) (Existing Chainage km 281.000) near Taroda Kasba village in Buldhana district	57.4765 (excluding structures length of 0.8035 km and length of Khamgaon Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 356.542 (design chainage) (Existing Chainage km 355.850) near Dasarkhed village in Buldhana district	48.566 (excluding structures length of 0.509 km and length of Nandura Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
Km. 218.750 (design chainage) (Existing Chainage km 219.000) near Kurankhed village in Akola district	Boregaon Bypass taking off at km. 229.100 (design chainage) (existing chainage km 229.420) and joining at km. 233.800 (design chainage) (existing chainage km 234.220) of NH-6	4.700	150% of base rates mentioned in Table-1 above

Km. 280.642 (design chainage) (Existing Chainage km 281.000) near Taroda Kasba village in Buldhana district	Khamgaon Bypass taking off at km. 292.842 (design chainage) (existing chainage km 293.320) and joining at km. 306.712 (design chainage) (existing chainage km 306.000) of NH-6	13.720 (excluding 0.150 km length of structures)	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 356.542 (design chainage) (Existing Chainage km 355.850) near Dasarkhed village in Buldhana district	Nandura Bypass taking off at km. 315.742 (design chainage) (existing chainage km 314.980) and joining at km. 321.742 (design chainage) (existing chainage km 320.980) of NH-6	5.925 (excluding 0.075 km length of structures)	150% of base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)
Km. 218.750 (design chainage) (Existing Chainage km 219.000) near Kurankhed village in Akola district	0.552	5.52
Km. 280.642 (design chainage) (Existing Chainage km 281.000) near Taroda Kasba village in Buldhana district	0.8035	8.035
Km. 356.542 (design chainage) (Existing Chainage km 355.850) near Dasarkhed village in Buldhana district	0.509	5.09

^{*} The details are as under:-

Toll Plaza at Km. 218.750 (design chainage)

	Chainage		I
	From Km	To Km	Length (m)
1	194.633	194.767	134.100
2	200.519	200.611	92.000
3	220.994	221.144	150.800
4	206.396	206.571	175.000
	Total		551.900

Toll Plaza at Km. 280.642 (design chainage)

	Chainage Longth (m)		Longth (m)
	From Km	To Km	Length (m)
1	246.436	246.526	90.000
2	247.627	247.707	80.000
3	254.272	254.392	120.000
4	273.022	273.116	94.500
5	274.589	274.716	126.400
6	283.664	283.732	68.000
7	302.976	303.051	75.000
8	243.511	243.586	74.626
9	302.022	302.097	75.000
Total		803.526	

Toll Plaza at Km. 356.542 (design chainage)

	Chainage		I amostly (mg)
	From Km	To Km	Length (m)
1	318.241	318.316	75.000
2	324.607	324.695	88.000
3	333.051	333.189	138.000
4	352.602	352.704	101.600
5	345.287	345.393	106.400
Total		509.000	

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
- 9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
- 10. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/760/CO/16-17/GC Amravati-Chikhli Section-BOT]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.